[5/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2610]

1/365792/2025
परिशिष्ट-एक

File No.:6/1/4/0054/2025-Confid-EXC COMM

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश,

नवीन कम्पोजिट राजस्व भवन
चतुर्थ तल नाका चन्द्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर
E-mail-ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक-2(अ)/ -शिका.-2025/E-592040/I/365792/2025 ग्वालियर, दिनांक 15.07.2025

प्रति,

उपायुक्त आबकारी,
संभागीय उड़नदस्ता
संभाग ग्वालियर

विषयः- म. प्र. आबकारी विभाग में सिपाही संजय भदौरिया एवं पंकज शर्मा द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्र. 13 गोहद जिला भिण्ड में अवैध रुप से मदिरा की सप्लाई के संबंध में शिकायत।

संदर्भः- शिकायतकर्ता श्री केशव देसाई, विधायक विधानसभा क्षेत्र 13 गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 397/2025, दिनांक 23.05.2025।

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करें। विचाराधीन प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री केशव देसाई द्वारा म. प्र. आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर पदस्थ संजय भदौरिया एवं पंकज शर्मा वर्ष 2013 से ग्वालियर जिले में पदस्थ है, ये दोनों ग्वालियर से श्री देसाई के विधानसभा क्षेत्र क्रं. 13 गोहद जिला भिण्ड में अपनी वर्दी के दम पर अवैध रुप से शराब की सप्लाई लगातार कर रहे है, व इस कृत्य से लाखों रुपये की कमाई कर रहे है। जिसकी सूचनाएं निरंतर प्राप्त होने संबंधी शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

अतः आपको उक्त शिकायत प्रेषित की जाकर लेख है कि, उक्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओ का परीक्षण करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन अभिमत सहित इस कार्यालय को 15 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न :- उपरोक्तानुसार।</u>

Digitally signed by
MADHU SINGH BHAYADIA
Date: 15-07-2025
12:18:19

(माधुसिंह भयडिया)
उपायुक्त आबकारी
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश सचिवालय
वाणिज्यिक कर विभाग
आबकारी/विक्रय कर शाखा

Scanned by CamScanner